झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
पंचम (बजट) सत्र
वर्ग–02

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक 11 फाल्गुन,1937 (श0) / 01 मार्च, 2016 (ई0) को झारखण्ड विधान सभा क्रे आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0 सं0	विभागों को संसूचित की गई सां सं0	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
98.	अ0सू0–38	श्री हरिकृष्ण सिंह	निष्पक्ष जाँच कराना	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	25.02.2016
99.	अ0सू0–25	श्री आलमगीर आलम	मानदेय देना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	18.02.2016
100.	अ0सू0–13	राधाकृष्ण किशोर	परीक्षा आयोजित कराना	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	11.02.2016
101.	अ0सू0–09	श्री बिरंची नारायण	जुर्माना वसूलना	खान एवं भूतत्व	11.02.2016
102.	अ0सू0–17	श्री राम कुमार पाहन	पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना	पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य	11.02.2016
103.	अ0सू0–27	श्री प्रदीप यादव	प्रोन्नति का लाभ देना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	18.02.2016
104.	अ0सू0–30	श्री निर्भय कु0शाहाबादी	कार्रवाई करना	खान एवं भूतत्व	23.02.2016
105.	अ0सू0–34	श्री नलिन सोरेन	दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई	पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य	25.02.2016
106.	अ0सू0–22	श्री प्रदीप यादव	वनोपज निरिक्षकों को प्रोन्नति ए0सी0पी0देना	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	15.02.2016
107.	अ0सू0–16	श्री आलमगीर आलम	छठे वेतनमान् के अनुरूप भुगतान	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	11.02.2016

रांची
दिनांक–01 मार्च,2016 (ई0)।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–04 / 2015– 1737 / वि0स0,रांची,दिनांक– 29/02/16

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / मा0 मंत्रीगण / माननीय संसदीय कार्य मंत्री / माननीय नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा / मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

29/2/2016

(संजय कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–04 / 2015– 1737 / वि0स0,रांची,दिनांक– 29/02/16

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय / अपर सचिव (प्रश्न) / संयुक्त सचिव (प्रश्न) झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

29/2/16

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–04 / 2015– 1737 / वि0स0,रांची,दिनांक– 29/02/16

प्रतिलिपि :– कार्यवाही शाखा / आश्वासन समिति शाखा एवं बेवसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

29/2/2016

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

बहादुर /

26/02/16

98

श्री हरिकृष्ण सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2016 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–38 का उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि पलामू प्रमण्डल में केन्द्रीय सहायता से चलाये जा रहे सरयू एक्सन प्लान के जलछाजन मिशन में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा करोड़ों रूपये का गबन किया गया है। यह आरोप रेंज ऑफसर आनन्द कुमार द्वारा लगाया गया है। तथा मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को सी0बी0आई जाँच के लिए पत्र लिखा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। आनन्द कुमार, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा सरयू एक्सन प्लान के अंतर्गत कियान्वित योजनाओं में भ्रष्टाचार की जांच सी0बी0आई0 से कराने हेतु मुख्य सचिव महोदय को पत्र भेजा गया है। प्रेषित पत्र में कोई योजना विशेष अथवा कार्य के लिए आरोप प्रतिवेदित नहीं है। लगाये गए आरोप के साथ कोई साक्ष्य भी संलग्न नहीं है। सभी आरोप अस्पष्ट है।
(2) क्या यह बात सही है कि रेंज ऑफसर आनन्द कुमार ने पत्र में उदृत किया है कि जल छाजन के काम किये बिना पलामू ब्याघ्र परियोजना वफर एरिया सह मेदिनीनगर के डी0एफ0ओ0 अनिल कुमार मिश्र और प्रधान वन संरक्षक ने बी0सी0 निगम के साथ मिलकर कई प्रकार की गड़बड़ियाँ की तथा कार्य किये बिना सारी राशि निकाल ली गयी;	श्री कुमार ने अपने पत्र में डी0एफ0ओ0 अनिल कुमार मिश्रा तथा **PCCF** श्री बी0सी0 निगम के विरूद्व आरोप लगाये गये है।
(3) क्या यह बात सही है कि डी0एफ0ओ0 अनिल कुमार मिश्र की नियुक्ति गलत तरीके से हुई है, इस सम्बन्ध में उनके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा भी आदेश जारी किया गया है;	वर्ष 1987 से 1990 तक नियुक्त सहायक वन संरक्षक की वरीयता सूची पूर्ववर्ती बिहार राज्य से विवादित है। इससे संबंधित कई मामले न्यायालय में विचारधीन है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विभाग के इतने बड़े घोटाले की निष्पक्ष जाँच डी0एफ0ओ0 श्री मिश्रा को हटाते हुए किसी सक्षम एजेन्सी से कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	श्री आनन्द कुमार, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी एक जिम्मेदार पद पर कार्यरत है। इनके द्वारा विगत वर्ष में माननीय न्यायपालिका तथा सचिव, पथ निर्माण विभाग एवं वन विभाग के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के विरूद्ध अनर्गल एवं विना किसी साक्ष्य आरोप लगातार लगाये जाते रहे है। उनके द्वारा आरोप लगाये जाने संबंधी विशिष्ट योजना विशेष एवं तत्संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्राप्त वैसे मामले जिसमें कि योजना विशिष्ट एवं साक्ष्य के साथ आरोप प्राप्त होते है, उनमें नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा अल्पसूचित प्रश्न –43/2016– 1150 व0प0, राँची, दि०– 29/02/2016

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–1488 दिनांक–25.02.2016 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

29/2/16
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

(99)

393
25/02/2016

श्री आलमगीर आलम, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–25

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत 89 मॉडल विद्यालय राज्य के पिछड़े प्रखण्डों में संचालित हैं ;	उत्तर स्वीकारत्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के मॉडल विद्यालय में कार्यरत अनुबंधित शिक्षकों को केन्द्रीय विद्यालय के तर्ज पर घंटी आधारित मानदेय–120 रु0 प्रतिघंटी की दर से देय है, जबकि केन्द्रीय विद्यालय के अनुबंधित शिक्षकों को प्रतिघंटी 210 रु0 एवं एक नियत मासिक मानदेय 26,250 रु0 का भुगतान किया जा रहा है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। राज्य में अवस्थित 89 मॉडल विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति घंटी आधारित रखा गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के सभी मॉडल विद्यालयों में कार्यरत अनुबंधित शिक्षकों को केन्द्रीय विद्यालय के अनुबंधित शिक्षकों के समान मासिक नियम मानदेय देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	मॉडल विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति घंटी के आधार पर रखा गया है। ऐसे शिक्षकों को मासिक नियत मानदेय देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

25/2/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–7 / स.1वि.(i)–46 / 2016 393 / दिनांक 25/02/2016

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

परीक्षा आयोजित कराना ।

100. श्री राधाकृष्ण किशोर--क्या मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में वर्ष 2000 से 2015 तक विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति हेतु झारखण्ड राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की गई है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि झारखण्ड प्रदेश में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं किये जाने का क्या कारण है, तथा राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा आयोजित कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री

(1) उत्तर अस्वीकारात्मक । झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2006 में व्याख्याता (सहायक प्रोफेसर) की नियुक्ति हेतु झारखण्ड पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया था ।

(2) झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2015 के प्रावधानों के तहत झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा JET के आयोजन पर विचार किया जा रहा है ।

(101)

श्री बिरंची नारायण, स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– 09

क्या मंत्री,
खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

माननीय मंत्री:–

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने फरवरी 2013 में कुछ कंपनियों पर नियमों को दरकिनार कर लौह अयस्क एवं मैगनीज अयस्क के अवैध खनन में हुए अरबों रूपये के नुकसान हेतु Mines & Minerals Development & Regulation Act. की धारा 21(5) के तहत 3274 करोड़ रू0 का जुर्माना लगाया था?	उत्तर आशिंक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुतः उक्त मामले में फरवरी–2013 में संबद्ध कंपनियों पर एम0एम0डी0आर0 एक्ट की धारा 21(5) के तहत कुल 2667.58 करोड़ रू0 का मांग पत्र निर्गत किया गया है, जिसपर अद्यतन सूद सहित कुल मांग 7662.62 करोड़ रू0 होता है।
2.	क्या यह बात सही है कि अब तक उक्त जुर्माने की राशि की वसूली विभाग नहीं कर सका है?	उत्तर आशिंक रूप से स्वीकारात्मक है। कंडिका 01 से संबंधित 06 कंपनियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रॉची में एवं 12 कंपनियों द्वारा खान न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में उक्त मांग के विरूद्ध आपत्ति दायर किया गया है। खान न्यायाधिकरण द्वारा 12 मामलों में मांग पत्र पर स्थगन आदेश पारित किया गया है। अंतिम न्याय निर्णय होने के उपरांत न्यायादेश के अनुरूप वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
3.	क्या यह बात सही है, कि नुकसान का आकलन जस्टिस एम0 बी0 शाह आयोग की रिपोर्ट द्वारा भी किया गया है एवं इस रिपोर्ट में झारखण्ड में 22000 करोड़ का अवैध खनन होने और गोवा को 2747 करोड़ का अवैध अयस्क निर्यात करने की भी बात कही गयी है?	उत्तर आशिंक रूप से स्वीकारात्मक है। उल्लेखनीय है कि जस्टिस एम0 बी0 शाह आयोग लौह अयस्क उत्पादक अन्य राज्यों के साथ साथ झारखण्ड राज्य की भी समीक्षा की है। झारखण्ड राज्य में लौह अयस्क एवं मैंगनीज अयस्क के खनन पट्टाधारकों द्वारा 14,541 करोड़ रू0 के अनियमित खनन करने का उल्लेख आयोग के प्रतिवेदन में किया गया है। शाह आयोग द्वारा प्रतिवेदित अनियमितताओं के संबंध में कई राज्यों के मामलें माननीय उच्चतम न्यायालय में भी विचाराधीन है एवं केन्द्र सरकार के द्वारा भी समीक्षा के कम में है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त जुर्माने की राशि को वसूलने हेतु त्वरित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग
(खान एवं भूतत्व प्रभाग)

ज्ञापांक:–वि०स०(अल्प सूचित)–16 / 2016 290 /एम०, राँची दिनांक– 29.2.16
प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापं० सं० प्र०–368

पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना ।

उत्तर मुद्रित

102. श्री राम कुमार पाहन--क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत ओरमांझी प्रखण्ड के शहीद जीतराम बेदिया के जन्मस्थली क्षेत्र गगारी पहाड़ को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित नहीं किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पहाड़ में प्राचीन कालीन मंदिर स्थित है, जिसमें सावन के महीनों में भक्तों की भारी भीड़ रहती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गगारी पहाड़ को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री

(1) स्वीकारात्मक ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि -

(i) प्रश्नाधीन स्थल पर सावन के महीनों में पूर्णिमा के दिन 4000-5000 (चार हजार से पाँच हजार) भक्त आते हैं एवं प्रतिदिन 30-40 (तीस से चालीस) भक्त आते हैं ।

(ii) प्रश्नाधीन स्थल पर स्थानीय एवं राजकीय भक्तों का आना-जाना रहता है ।

(3) पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के संकल्प संख्या-1494, दिनांक 26 अगस्त, 2015 के द्वारा राज्य के पर्यटन स्थलों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के प्रावधान सहित राज्य के पर्यटन स्थलों के वर्गीकरण के साथ पर्यटन स्थलों के विकास कार्य (नई योजनाएँ) हेतु प्राथमिकता क्रम का निर्धारण राज्य स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति तथा जिला स्तर पर जिलास्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति द्वारा होना है । अतएव प्रश्नाधीन स्थल के संबंध में जिलास्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति से अनुशंसा एवं प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही अग्रेतर समुचित कार्रवाई संभव है ।

(103)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-27

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	उत्तर डॉ0 नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि स्कूली शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या-08/वि0-281/2007-3027/राँची, दिनांक 14.12.2015 के द्वारा झारखण्ड शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से प्रोन्नति देने का संकल्प जारी किया गया है ;	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के नियमों के आलोक में वर्ष 1987, 1988, 1994 एवं 1999-2000 में नियुक्त मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों को ग्रेड-1 में आपसी वरीयता का निर्धारण उनकी नियुक्ति की तिथि से करने का निर्णय लिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त संकल्प के कंडिका 15 (5) के द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से प्रोन्नति के लाभ से वंचित रखा गया है जबकि दोनों के सेवा शर्त्त एवं लाभ में कोई अंतर नहीं है ;	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद् अधिनियम-1993, जो दिनांक 01.07.1995 से लागू है के अनुसार प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता मैट्रिक प्रशिक्षित निर्धारित की गई थी। तदनुसार झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालयों नियुक्ति नियमावली-2002 में शिक्षक नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता मैट्रिक प्रशिक्षित थी। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-12754, दिनांक 12.07.1977 द्वारा यह निदेश दिया गया है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामलों में भी आश्रित आवेदक द्वारा पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अहर्ता एवं उम्र सीमा की शर्त का पूरा किया जाना आवश्यक होगा, किन्तु विशेष परिस्थिति में आयु सीमा में छुट दी जा सकती है। अनुकम्पा के आधार पर अप्रशिक्षित आश्रितों की नियुक्ति एवं निर्धारित उम्र सीमा से अधिक उम्र वाले आश्रितों की भी नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर की जाती रही है। जबकि सीधी नियुक्ति के मामलों में अभ्यार्थियों को नियमावली द्वारा निर्धारित योग्यता एवं उम्र सीमा के अनुसार ही नियुक्ति की गई है। इस प्रकार सीधी नियुक्ति एवं अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की शर्तें एक समान नहीं है। तदनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति के तिथि से ग्रेड-1 में वरीयता का लाभ नहीं दिया गया है।

3.	यदि उपर्युक्त खण्डशें के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संकल्प के कंडिका 15 (5) को निरस्त कर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को सम्मान प्रोन्नति लाभ देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में निहित है।

26/2/16

सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक.....344...../ रांची, दिनांक.....26/2/....2016

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1213, दिनांक 08.02.2016 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/16

सरकार के संयुक्त सचिव

104

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0–30

क्या मंत्री,
खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

माननीय मंत्री:–

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष–2011 में कुजू–रामगढ़ बाईपास सड़क निर्माण के दौरान एन0एच0ए0आई0 ने 7159.20 क्यूबिक मिटर (9062.20 मेट्रिक टन) कायेला निकला था जिसका मूल्य 1.16 करोड़ रू0 राशि था;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड 01 में निकाले गये कोयले की रखवाली पर मजदूरी के रूप में अबतक विभागीय पदाधिकारियों की लापरवाही से सरकार का 9.86 लाख रू0 राशि खर्च हो चुका है	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त में कोई राशि खर्च नहीं हुई है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्यहित में खण्ड–1 में वर्णित कोयले की बिकी का आदेश निर्गत करते हुए दोषी पदाधिकारियों को जिनके कारण सरकार का 9.86 लाख रू0 खर्च हो चुका है पर विधि सम्मत कार्रवाई का विचार रखती है हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि0, रॉची द्वारा कोयले की बिकी हेतु कार्रवाई प्रारंभ की गई है, एवं इसमें वाणिज्य कर विभाग एवं उत्पाद विभाग अन्तर्गत Sales Tax एवं Excise Tax वसूलने की प्रकिया एवं Online Mining Challan निर्गत करने हेतु आवश्यक व्यवस्था खनिज निगम द्वारा की जा रही है। तदोपरांत इसकी बिकी की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग
(खान एवं भूतत्व प्रभाग)

ज्ञापांक:–वि०स०(अ0सू0)–29 / 2016 291 /एम०, राँची दिनांक– 29-2-16
प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1410 दिनांक–23.02.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.2.16

(आनन्द मोहन ठाकुर)
सरकार के संयुक्त सचिव

(105)

श्री नलिन सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.03.2016 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– 34 का उत्तर:

प्रश्नकर्ता	उत्तर दाता
श्री नलिन सोरेन, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पोर्टब्लेअर में अंडर 17 स्कूली राष्ट्रीय फुटबॉल चैम्पियनशिप टीम में भाग लेने झारखण्ड से टीम गयी थी ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त झारखण्ड की बालिका टीम स्कूली राष्ट्रीय चैम्पियनशिप का ताज जीतकर 7 दिसम्बर 2015 सोमवार को राँची स्टेशन पहुँची थी ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड की बालिका राष्टीय चैम्पियनशिप ताज पाने वाली बालिकाओं के सम्मान व अगवानी के लिए कोई प्रबंध नहीं था, उन्हें ऑटों में क्षमता से अधिक बैठाकर स्टेडियम भेजा गया था ;	अस्वीकारात्मक। 7 दिसम्बर 2015 को विजयी टीम की अगवानी के लिए निदेशालय के वरीय पदाधिकारीगण एवं प्रशिक्षकगण उपस्थित थे। विजयी खिलाड़ियों का स्टेशन पर माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। विजयी टीम हेतु एक टाटा सूमो एवं एक विभागीय वाहन की व्यवस्था की गयी थी। खिलाड़ियों के सामान की अधिकता के कारण दो वाहनों में सामंजन नहीं हो पाने की स्थिति में तत्काल अतिरिक्त वाहन स्टेशन पर भाड़े पर लेकर उपयोग किया गया।
4	यदि उपयुक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राष्ट्रीय स्तर के ताज से राज्य को सुशोभित करने वाली बालिकाओं को अपमानित कराने वाले दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई व दण्ड देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन,कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : 1/ वि० –8 – 77/16/क० 160 / राँची, दिनांक 29/02/2016

प्रतिलिपि: अवर सचिव झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक 1484 दिनांक 25.02.16 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं सदन पर रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.2.16

सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन,कला, संस्कृति, खेलकूद एव युवा कार्य विभाग

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2016 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–22 का उत्तर सामग्रीः– 106

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड वन विकास निगम में लगभग 27 वर्षों से कार्यरत वनोपज निरीक्षकों को अभी तक प्रोन्नति/ए0सी0पी0 का लाभ नहीं दिया गया है ?	स्वीकारात्मक ।
(2) क्या यह बात सही है कि वनोपज निरीक्षक से सहायक प्रमण्डलीय प्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक/सहायक निदेशक एवं प्रमंडलीय प्रबंधक के पद पर प्रोन्नति देने हेतु पद पूर्व से स्वीकृत है ?	अस्वीकारात्मक । झारखण्ड सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना संख्या–वन निगम–26/2006–2664 दिनांक–29.06.2012 द्वारा सहायक महाप्रबंधक/ सहायक निदेशक के कुल 11 स्वीकृत पद सीधी नियुक्ति से भरे जायेंगे या प्रोन्नति से, इस विषयक निगम द्वारा नियमावली का गठन नही किया गया है। प्रमण्डलीय प्रबंधक का पद झारखण्ड वन सेवा के लिए कर्णांकित है।
(3) अगर उपरोक्त सभी खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वनोपज निरीक्षकों को प्रोन्नति/ACP देने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य गठन के बाद बिहार राज्य वन विकास निगम लि0, पटना एवं झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लि0, राँची के मध्य आस्तियों एवं दायित्वों का विभाजन नहीं हुआ है। वर्तमान में झारखण्ड राज्य वन विकास निगम में कार्यरत कर्मी मूलतः बिहार राज्य वन विकास निगम के कर्मी है एवं इनकी प्रोन्नति/ACP संबंधी अधिकार प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वन विकास निगम लि0, पटना के पास है, क्योंकि वही इन निगम कर्मियों के नियोक्ता हैं।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा अल्पसूचित प्रश्न –28/2016– 1146 व0प0, राँची, दि०– 29/02/2016

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–856 दिनांक–15.02.2016 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(सुनील कुमार)

(107)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री आलमगीर आलम, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-16

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	**डॉ0 नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में कार्यरत कर्मियों को छठ्ठा वेतनमान देय है;	स्वीकारात्मक ।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों/पदाधिकारियों को आज भी चतुर्थ वेतनमान के आधार पर निर्धारित परिलब्धि दिया जा रहा है जबकि झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् की अपनी सेवा नियमावली लागू है;	अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् एक स्वतंत्र एवं स्वायत्तशासी निकाय के रूप में स्थापित है जो सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधीन पंजीकृत संस्था है। परिषद् के अंतर्गत कर्मियों की सीधी नियुक्ति/ प्रतिनियुक्ति एक निश्चित समय-सीमा तक संविदा के आधार पर सेवा लेने का प्रावधान है। बिहार शिक्षा परियोजना के सेवा शर्त्त नियमावली, जो झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा अंगीकृत है, के अध्याय III कंडिका-7 के अनुसार संविदा आधारित कर्मियों के सेवा शर्त्त संविदा एकरारनामा के अनुरूप होगा। इन संविदा कर्मियों के साथ हुए एकरारनामा में वेतनमान देने का उल्लेख नहीं अपितु समेकित परिलब्धि देय होगा अंकित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् में नियुक्त/कार्यरत कर्मियों को राज्य में लागू छठ्ठे वेतनमान के अनुरूप भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर खण्ड-2 में निहित है।

26/2/16

सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक.....341...../ **रांची,** **दिनांक**.....26/2/...**2016**

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 511, दिनांक 11.02.2016 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/16

सरकार के संयुक्त सचिव